

142

1. अग-568-II-16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय जिला ग्वालियर (म.प्र.)

मोती, प्रेमलाल तनय बल्लू लोधी  
निवासी धर्मपुरा (सुजारा) तहसील  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण राजस्व/65/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2015 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- यह कि भूमि स्थित धर्मपुरा खसरा नं. 316/2 रकवा 0.809 का पट्टा राजस्व प्रकरण क्रमांक 85अ-19.(4)/95-96 के अनुसार दिया गया था, जो राजस्व अभिलेखों में संबंधित भू स्वामी के रूप में दर्ज किया जा चुका था, परंतु कम्प्यूटर खसरा में मध्यप्रदेश शासन दर्ज था, जिसके तारतम्य में आवेदक/निगराकार द्वारा पिता की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडागांव के समक्ष रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त सुधार 9 वर्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुशंसा हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ से अनुशंसा हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुये उक्त अनुशंसा निरस्त कर दी कि प्रकरण में आवेदक निगराकार मूल कृषक नहीं हैं और न ही संबंधित भूमि पर खेती करते हैं। न ही उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित किया और प्रकरण निरस्त कर दिया।
2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का कोई तर्क अथवा सुनवाई का अवसर निगराकारों को नहीं दिया और मनमाने तरीके से प्रकरण को निरस्त कर निगराकारगणों के हक एवं अधिकारों को निरस्त करते हुये उन्हें भू स्वामी मानने से इंकार दिया, जबकि राजस्व अभिलेखों में निगराकारगण पूर्व से भू स्वामी हैं, जो पूरी तरह मुख्य दरवाजे से शामिल हुये हैं। जिनका प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध किया गया था और उस आधार पर रकवा निगराकारगणों को भू स्वामी के रूप में शासन द्वारा दिया गया था।

--2--


ka

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... निग. 568 II/16 ..... जिला टीकमगढ़ .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	<p>1- आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता राकेश यादव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।</p> <p>2- मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 65/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04-12-2015 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगणों के पिता बंदु तनय मुन्हेँ लोधी को ग्राम धरमापुर की भूमि ख. नं0 316/2 रकवा 0.809 हे0 भूमि का पट्टा भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षों से चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख एवं हस्तलिपि खसरा में भी उनका आवेदकगण को नाम दर्ज है। न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागाँव द्वारा प्र. क. 85/अ-19(4)/95-96 आदेश दिनांक 01/01/96 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया गया था। तभी से वे काबिज है उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है। इसी आधार पर आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागाँव के समक्ष कम्प्यूटर शाखा में आवेदक के नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागाँव द्वारा अपना प्रतिवेदन संपूर्ण जांच एवं दस्तावेजों के आधार पर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आज्ञा हेतु प्रेषित किया था। किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विना किसी विधिक आधार के विवादित भूमि को शासन मद में दर्ज किए जाने का आदेश पारित कर दिया इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4- आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15-20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है। जबकि उन्हें स्वप्रेरण निगरानी के तहत कार्यावाही करने की अधिकारिता नहीं है। इस कारण उन्हें विचारण न्यायालय</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत रूप से विवादित भूमि को आवेदक के नाम दर्ज किए जाने के निर्देश देने थे यदि कोई त्रुटि थी तो उन्हें अपना प्रतिवेदन सम्मानीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रतिप्रेषित करना था किंतु ऐसा न कर उन्होंने अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है। जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगोले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।</p> <p>5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपर तहसीलदार बड़ागाँव द्वारा दिनांक 02.11.15 को आवेदक के पक्ष में इस बावत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उल्लेखित भूमि का पट्टा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा होने के आधार पर दिनांक 01.01.96 को प्रदान किया गया है तथा मौके पर काबिज होकर हस्तलिपि खसरा में आवेदक गणों का नाम वर्तमान में दर्ज हैं इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रचलित कार्यवाही में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं पाता हूँ।</p> <p>6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.15 निरस्त किया जाकर, अपर तहसीलदार बड़ागाँव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के नाम कम्प्यूटर/राजस्व अभिलेख में पूर्वतः दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: center;">           सदस्य       </p>